| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**गुरूदयाल बनाम भगतसिंह**<br>**अपील संख्या 106/2019**(जीसीएमएस **नम्बर 2019/00061**) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.11.22 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उन्होने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के खिलाफ अपील में कोई आगामी कार्यवाही करना नही चाहता है तथा अपील चलाना नही चाहता है इसलिये अपील अपीलान्ट विड्रो कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने के लिये यह प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलान्ट विड्रो कर पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमायी जावें।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता तथा अपील विड्रो करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को आगे नही चलाने एवं विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर विड्रो/खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>10/11/22<br>(अन्तरसिंह नेहरा)<br>संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर। | |